

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 88/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात् :-

1. ये नियम ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग, हरियाणा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग, हरियाणा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9क के बाद, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“9क.—(1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रयोगों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेंसी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा

अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्ड प्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूँकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) देने से छूट दी जाती है :—

- (i) एम०टेक०/बी०टैक० (कम्प्यूटर), एम०सी०ए०, बी०सी०ए० या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- (ii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०ई०एल०आई०टी०) (पूर्वी डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
- (iii) एच०के०सी०एल० के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए०एल०सी०जे०) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच०एस०सी०आई०टी०);
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस०ई०टी०सी० पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) को हार्दोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायाँ तथा दायाँ) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैल्सिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नैःव पॉःलुजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैःवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजनेरैटिव डिसऑःडें जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता, तथा आँखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

I. क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(i) स्नातक/10+2 ;

(श्रुतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);”;

II. क्रम संख्या 13 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- “(i) स्नातक/10+2 ;
(भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);”;

III. क्रम संख्या 14 के सामने,—

(क) विद्यमान मद के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

- “(i) स्नातक/10+2 ;
(भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);”
(ii) नियम 9क के दृष्टिगत लोप किया गया है;
(iii) मैट्रिक स्तर या तक हिन्दी का ज्ञान;”;

(ख) खाना 4 के नीचे, “पदोन्नति द्वारा” शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- “(i) स्नातक / 10+2 ;
(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव;
(भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);
(iii) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में निदेशक द्वारा संचालित 10+2 स्तर तक की विभागीय परीक्षा पास करनी होगी;
(iv) नियम 9क के दृष्टिगत लोप कर दिया गया है;”;

(ग) खाना 4 के नीचे, “स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- “(i) स्नातक / 10+2 ;
(भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);
(ii) नियम 9क के दृष्टिगत लोप किया गया है;
(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।”

राम निवास,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Notification

The 9th November, 2013

No. G.S.R. 88/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Directorate of Rural Development (Group-C) Service Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Directorate of Rural Development (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2013.
2. In the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

“9A.—(1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in

accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M. Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) (erstwhile DOEACC Society);

(iii) Haryana State - Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government;

and

(v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, in Appendix B,—

L against serial number 11, under column 3, for existing item (i), the following items shall be substituted, namely :—

"(i) Graduate/10+2;

(For Ex-servicemen 10+2 only);";

II. against serial No. 13, under column 3, for existing item, the following item shall be substituted, namely :—

“(i) Graduate /10+2;

(For Ex-servicemen 10+2 only);”;

III. against serial No. 14,—

(a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :—

“(i) Graduate/10+2;

(For Ex-servicemen 10+2 only);”;

(ii) omitted in view of rule 9A;

(iii) Hindi upto Matric standard;

(b) under column 4, under heading ‘by promotion’, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :—

“(i) 10+2;

(ii) Five years experience as Group D employee;

(For Ex-servicemen 10+2 only);

(iii) To pass department written test of Hindi and English languages of the 10+2 level to be conducted by the Director;

(iv) omitted in view of rule 9A;”;

(c) under column 4, under heading ‘by transfer or deputation’, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :—

“(i) Graduate/10+2;

(For Ex-servicemen 10+2 only);”;

(ii) omitted in view of rule 9A;

(iii) Hindi upto Matric Standard;”;

RAM NIWAS,

Principal Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department.